अति तत्काल

संख्या आर-11016/2/2015-पी.एण्ड.सी.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 सितम्बर, 2020

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए सितम्बर, 2020 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **सितम्बर, 2020** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

जसबीर तिवारी
(जसबीर तिवारी)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिमंडल के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली ।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

उपभोक्ता मामले विभाग

सितम्बर, 2020 माह के लिए मासिक सारांश

1. सितम्बर, 2020 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:

1.1 आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लिया है जिसे दिनांक 27.09.2020 को अधिसूचित किया गया है।

1.2 उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग) नियम, 2020 के नियम 8 के अनुसरण में दिनांक 07.09.2020 को ऑनलाइन पोर्टल https//edaakhil.nic.in शुरु किया गया है ताकि एनसीडीआरसी में उपभोक्ता मामलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा सके।

1.3 कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के बाट और माप के सत्यापन और स्टैम्पिंग के लिए चरणबद्ध रूप में पुन: खुलने के दौरान और समय विस्तार (31 दिसंबर, 200 तक) देने के लिए राज्य सरकारों को परामर्शिता जारी की गई।

1.4 कोविड-19 के लिए अधिकार प्राप्त समूह-3 के अनुरोध पर भारतीय मानक आईएस 17423:2020 के अनुसार कोविड-19 में सबको शामिल करने संबंधी प्रभाजन (सर्टीफिकेशन ऑफ कवर आल) शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, क्रमश: आई 9473, आईएस 5983 और आईएस 16289 के अनुसार एफएफपी2 मास्कों, आंखों की रक्षा करने वाले उपकरणों (आई प्रोटेक्टर्स) और सर्जिकल मास्कों के प्रमाणन पर बल दिया गया जिसमें विनिर्देशन की सभी आवश्यकताओं के लिए परीक्षण सुविधाओं की सब कन्ट्रैक्टिंग की अनुमति देकर अंत: परिसर परीक्षण सुविधाओं (इन हाउस टेस्ट फैसिलिटीय) के लिए छूट दी गई।

1.5 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने खिलौनों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत लाने के लिए क्यूसीओ जारी किया था। इस संबंध में बी.आई.एस. द्वारा 31 अगस्त, 2020 को अखिल भारतीय प्रथम आधार पर लाइसेंस दिया गया था।

1.6 भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग ने बी.आई.एस. (समरूपता मूल्यांकन) विनियमन, 2018 की स्कीम – I के अनुसार 21 सितंबर, 2020 को ऑटोमोबाइल व्हील रिम कंपोनेन्ट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2020 जारी किया है।

2. माह के दौरान बड़ी उपलब्धि:-

2.1 जुलाई से नवम्बर, 2020 तक विस्तारित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना-II के अंतर्गत 9.70 लाख मीट्रिक टन दालों के आबंटन में से 6.18 लाख मीट्रिक टन साबुत चना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रेषित किया जिसमें से उन्हें 5.65 लाख मीट्रिक टन प्राप्त हुआ और 3.57 लाख मीट्रिक टन आज की तारीख तक अंतिम लाभार्थियों को वितरित किया गया। तेलंगाना राज्य ने सुपुर्दगी के स्थान के बारे में सूचित करने संबंधी अनुरोधों का उत्तर नहीं दिया है इसलिए राज्य में वितरण शून्य है।

2.2 इसके अलावा ऐसे प्रवासी मजदूरों जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किया गया या जो उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में फंसे हुए है जिनका राशन कार्ड उनके पास नहीं है, के लिए

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकारी बफर स्टॉक से 1 किलो ग्राम साबुत चने के प्रावधान के संबंध में सितम्बर, 2020 के अंत तक 27000.41 मीट्रिक टन (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध के अनुसार समायोजित) का प्रेषण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया जिसमें से 26872.02 मीट्रिक टन उन्हें प्राप्त हुआ और 16640 मीट्रिक टन का वितरण किया गया।

2.3 नेफेड द्वारा पीएसएस के अंतर्गत खरीदा गया 2 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक पीएसएस के कैश क्रेडिट एकाउंट में 1,160 करोड़ रुपये जारी किए जाने पर पीएसएफ बफर में स्थानांतरित किया गया।

2.4 रबी 2020 की फसल से 1.0 लाख मीट्रिक टन प्याज पीएसएफ के अंतर्गत खरीदी गई है। देश में प्याज के मूल्य में नरमी लाने के लिए माह के दौरान लगभग 15875 मीट्रिक टन प्याज का निपटान किया गया।

3. माह के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण बैठक

3.1 आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की समीक्षा के संबंध में सीओएस की तीन बैठकें दिनांक 11.09.2020, 18.09.2020 और 25.09.2020 को आयोजित की गई।

3.2 आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की समीक्षा करने के लिए सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में एक आईएमसी बैठक आयोजित की गई।

3.3 गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के संबंध में भारत –जर्मन कार्य समूह के अंतर्गत 02 सितम्बर, 2020 को उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फार इकोनामिक अफेयर्स एंड एनर्जी (बीएमडब्ल्यूआई) और भारतीय मानक ब्यूरो के बीच विचार-विनिमय किया गया। जिन विषयों और प्राथमिकताओं (बाजार निगरानी/ई-वाणिज्य, साइबर सुरक्षा प्रमाणन आदि सहित) पर विचार-विमर्श किया गया उन्हें वर्ष 2020 की शेष अवधि के लिए गतिविधियों की योजना बनाते तथा कार्यान्वयन करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

3.4 तकनीकी शिक्षा की पाठ्यचर्या में मानकों के समेकन पर आईआईटी के निदेशकों के साथ 10 सितम्बर, 2020 को बीआईएस द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।